संख्या- 2/2016/132/पचासी-16-7(परती)/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:- उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।। (विश्व बैंक पोषित) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3बी-1/बजट/2015-16/1273, दिनांक 12 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या-783/पचासी-15-7(परती)/2013, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।। (विश्व बैंक पोषित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित रूपये 1680500000/- (एक सौ अडसठ करोड पांच लाख मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ् त्रैमास (जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक) हेतु रूपये 420500000/- (रूपये बयालिस करोड पॉच लाख् मात्र) की धनराशि व्यय हेतु श्री राज्यपाल महादेय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- धनराशि के आहरण हेतु बिल उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के बाद सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

3- धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेगा जो इसके एकाउण्टस भी तैयार कराकर ससमय उपलब्ध करायेंगे।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो मे उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों मे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त धनराशि का उपयोग योजना की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा कार्ययोजना के अनुरूप विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद मे इसका डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्रोएक्टिव फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी है।

6- उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट -।।। (विश्व बैंक पोषित) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम में डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहें है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2/2016/132/पचासी-16-7(परती)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालत्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट,लखनऊ/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लख्नऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1।
9. अनुभागीय आदेश् पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।